भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2625

जिसका उत्तर मंगलवार, 11 अगस्त, 2026/20 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक

2625. श्री हर्ष महाजन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा प्राप्त किया गया ऋण-जमा अनुपात और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण कितना है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान बैंक द्वारा बागवानी, विशेषकर सेब उत्पादकों और पर्वतीय क्षेत्रों के अन्य किसानों को दिए गए ऋण की मात्रा कितनी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में कार्यात्मक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पुनर्पूंजीकरण, शाखा विस्तार या उन्हें सुदृढ़ करने के अन्य उपाय किए हैं या करने का प्रस्ताव है; और

(घ) राज्य के पर्वतीय और दूर-दराज के क्षेत्रों में किसानों के लिए ऋण की सुविधा बेहतर बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (एचपीजीबी) के ऋण-जमा अनुपात का उल्लेख निम्नानुसार किया गया है-

वर्ष	**ऋण-जमा अनुपात**
31.03.2024	44.44
31.03.2025	46.58
31.03.2026	49.08

* स्रोत: नाबार्ड

एचपीजीबी की प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की उपलब्धि का उल्लेख निम्नानुसार किया गया है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	**पीएसएल उपलब्धि (वर्ष के दौरान संवितरण)**
31.03.2024	2902
31.03.2025	3582
31.03.2026	3643

* स्रोत: नाबार्ड

(ख): सेब उत्पादकों सहित फसल ऋण के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने वाले पहाड़ी क्षेत्र के किसानों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	**फसल ऋण के अंतर्गत किसानों की संख्या**	**फसल ऋण के अंतर्गत संवितरित राशि (करोड़ रुपए)**	**बागवानी विशेष रूप से सेब उत्पादकों को दिए गए ऋण (करोड़ रुपए)**
31.03.2024	66859	1973	71.74
31.03.2025	71315	2885	56.53
31.03.2026	100510	2869	63.90

* स्रोत: नाबार्ड

(ग): एचपीजीबी के पुनर्पूंजीकरण की कोई आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई है। राज्य में अपनी बैंकिंग पहुंच को मजबूत करने के लिए एचपीजीबी ने पिछले 3 वर्ष के दौरान अपने बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार निम्नानुसार किया है:

वर्ष	**खोले गए शाखाओं की संख्या**
31.03.2024	3
31.03.2025	शून्य
31.03.2026	4

* स्रोत: नाबार्ड

(घ): सरकार ने हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले किसानों सहित सभी किसानों के लिए संस्थागत ऋण तक पहुंच में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, जिनमें निम्नांकित शामिल हैं -

(i) लघु और सीमांत किसानों के लिए उप-लक्ष्य सहित कृषि के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण लक्ष्यों को निर्धारित करना;

(ii) किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना का कार्यान्वयन जिसमें पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए केसीसी का विस्तार और पात्र अल्पकालिक फसल ऋणों पर ब्याज सहायता का प्रावधान शामिल है;

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋण सीमा में वृद्धि और ऋण देने की प्रक्रियाओं का सरलीकरण;

(iv) कृषि ऋण और पूंजी निर्माण के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त सहायता;

(v) संस्थागत ऋण की सुविधा के लिए स्व सहायता समूहों (एसएचजी), संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना; तथा

(vi) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए जनसेतु सहित नाबार्ड द्वारा केंद्रीकृत डिजिटल क्रेडिट अवसंरचना (सीडीसीआई) का विकास, जो किसान क्रेडिट कार्ड अनुप्रयोगों की संपूर्ण डिजिटल प्रोसेसिंग को सक्षम बनाता है जिसमें सहायता की आवश्यकता वाले किसानों को सहयोग आधारित सहायता प्राप्त है जिससे संस्थागत ऋण तक समय पर पहुंच को बेहतर बनाया जाता है।
